न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/1 /2015	25–05–2015	27–06–2022

1. प्यारेलाल पुत्र किरोडी,
2. किशोर पुत्र किरोडी,
3. पन्ना लाल पुत्र किरोडी जाति चमार निवासी ग्राम रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर (राजस्थान)

–: अपीलाण्टान

बनाम

1. दौलत पुत्र रामचन्दर जाति जांगिड ब्राहमण निवासी ग्राम रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर। (मृतक)
2. मनजीत कौर पत्नि मानसिंह जाति सिक्ख निवासी रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर।
3. उर्मिला पत्नि कैलाश जाति महाजन निवासी ग्राम नौगावां तहसील रामगढ जिला अलवर (राजस्थान)
4. सुशीला जैन पत्नि मुकेश जैन जाति जैन निवासी रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर।
5. चरणजीत कौर पत्नि मनजीत सिंह जाति सिक्ख निवासी ग्राम रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर (राजस्थान)
6. कुलवंत कौर पत्नि तीर्थ सिंह जाति सिक्ख निवासी ग्राम रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर (राजस्थान)
7. सुनील कुमार बक्सी पुत्र रामगोपाल जाति बक्सी निवासी ग्राम रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर (राजस्थान)
8. नवीन कुमार जैन पुत्र समुत चन्द जैन जाति जैन निवासी ग्राम रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर (राजस्थान)
9. रविन्द्र कुमार जैन पुत्र सुमत कुमार जैन जाति जैन निवासी ग्राम रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर (राजस्थान)
10. सुजाता जैन पत्नि बच्चू जैन जाति जैन निवासी ग्राम रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर (राजस्थान)
11. राजेन्द्र कुमार पुत्र हरीश चन्द जैन जाति जैन निवासी पुरानी अनाज मंण्डी डीग जिला भरतपुर (राजस्थान)
12. नवीन कुमार जैन पुत्र सुमती जैन जाति जैन निवासी ग्राम रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर (राजस्थान)
13. तहसीलदार रामगढ जिला अलवर (राजस्थान)

–: रेस्पोडेन्टान

प्रार्थना पत्र विरूद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ दिनांक 16.06.1976 अन्तर्गत लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1955 की धारा 75 के

उपस्थितः–

1. श्री पुष्कर राज मुखीजा – वकील प्रार्थी
2. श्री पंकज कुमार शर्मा – वकील अप्रार्थी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)

—:निर्णय:—

अपीलान्टान ने यह अपील तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, रामगढ के आदेश दिनांक 16.06.1976 जिसके द्वारा साबिक आराजी खसरा न0 502 रकबा 1 बीधा 7 बिस्वा, हाल आराजी खसरा न0 667 रकबा 0.34 ऐयर, साबिक आराजी खसरा न0 503 रकबा 1 बीधा हाल आराजी खसरा न0 668 रकबा 0.25 ऐंयर वाके ग्राम रामगढ जो दौलतराम पुत्र रामचन्द जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी रामगढ को जारी की गयी से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि अपीलान्टान ग्राम रामगढ के निवासी है, खातेदारी की आराजी खसरा न0 502 रकबा 1 बीधा 7 बिस्वा, हाल आराजी खसरा न0 667 रकबा 0.34 ऐयर, साबिक आराजी खसरा न0 503 रकबा 1 बीधा हाल आराजी खसरा न0 668 रकबा 0.25 ऐंयर वाके ग्राम रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी अपीलान्टान के पिता स्व0 किरोडी पुत्र जीवा जाति चमार निवासी रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर के कब्जे काश्त की आराजी है। जिस आराजी पर अपीलान्टान का पिता स्व0 किरोडी पुत्र जीवा अपने जीवन काल तक उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा था, और उसकी मृत्यु के उपरान्त हम अपीलान्टान उसके पुत्र काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है, और अब भी मौके पर काबिज है। उक्त आराजी पर रैस्पोडेन्ट संख्या 01 का कोई ताल्लुक व सरोकार किसी प्रकार का नही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रैस्पोडेन्ट संख्या 2 एंव पटवारी हल्का से साज बाज होकर उक्त आराजी का खिलाफ आवंटन अपने नाम से दिनाक 16.06.1976 को करा लिया जबकि अपीलान्ट का पिता स्व0 किरोडी उक्त आवंटन आदेश से पूर्व और आवंटन के समय उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा था, और आवंटन के पश्चात भी बदस्तुर काश्त करता रहा और मृत्यु के पश्चात अपीलान्टान उक्त आराजी पर काश्त करते चले आ रहे है, और मौके पर काबिज काश्त है। उक्त विवादित आराजी अपीलान्टान के पिता के नाम कागजात माल में दर्ज होने के कारण किसी व्यक्ति को अलाट नही की जा सकती और न ही अनुसूचित जाति की आराजी का आंवटन किसी स्वर्ण जाति के व्यक्ति को किया जा सकता है। उक्त विवादित आराजी को अलोट करने से पूर्व कभी भी अपीलान्टान के पिता किरोडी पुत्र जीवा चमार को नोटिस नही दिया गया औन न ही वक्त आराजी से कभी बेंदखल किया गया और न ही वक्त आवंटन के समय उक्त आराजी सिवायचक कस्टोडियन थी, बल्कि किरोडी पुत्र जीवा की गैरखातेदारी की थी, जो तथ्य रेवेन्यू रिकार्ड के अवलोकन करने से जाहिर है, कि उक्त आराजी अपीलान्टान के पिता किरोडी के कब्जे काश्त की खातेदारी की थी। उक्त विवादित आराजी अलवर—देहली रोड पर स्थित होने के कारण बेशकीमती आराजी है। अपीलान्टान का पिता कम पढा लिखा व जाति से चमार होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने तहसीलदार व पटवारी हल्का से साज—बाज होकर अपीलान्टान की उक्त आराजी का आवंटन गलत तरीके से अपने नाम से करा लिया है, और दीगर व्यक्तियों को बिना किसी अधिकार के बेचान कर दिया। जिस पर अवैध प्लॉट काटने पर उतारू है, दिनांक 16.04.2015 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दीगर व्यक्तियो के साथ मिलकर अपीलान्टान की कब्जेशुदा आराजी पर अवैध निर्माण करने की कोशिश की तब अपीलान्टान को मालुम हुआ और अपीलान्टान ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उक्त आराजी आराजी पर कब्जा करने से मना किया तो उसने जाहिर किया कि उक्त आराजी उसके नाम अलोट करा ली है और दीगर व्यक्तियो को बेंचान कर दी है, इस पर अपीलान्टान ने दिनांक 16.04.2015 को तहसीलदार रामगढ के कार्यालय में नकल की दरखास्त पेश की और दिनांक 17.04.2015 को उक्त आदेश की नकल प्राप्त की गयी। नकल प्राप्त करने के पश्चात कानूनी सलाह प्राप्त कर दिनाक 25.05.2015 को बिना देरी किये अपील पेश की गयी है। दिनांक 16.06.1976 से 16.04.2015 तक की जानकारी नही होने के कारण 17.04.2015 से 25.05.2015 तक का समय कानूनी सलाह लेने में समय व्यतीत हुआ है, जो मियाद में कन्डोन किये जाने योग्य है, जिस कारण अपील अपीलान्टान अन्दर मियाद तशव्वर फरमायी जावे जिसके लिए प्रार्थना पत्र दफा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

5 कानून मियाद अधिनियम पेश कर अपील अपीलान्टान अन्दर अवधि मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलान्टान स्वीकार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनाक 16.06.1976 को निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया है, दौलत पुत्र रामचन्दर जाति जांगिड ब्राह्मण निवासी ग्राम रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर को उक्त आराजी नियमानुसार आंवटित की गयी थी, पूर्व आवंटी अपीलान्ट के पिता किरोडी को गैर खातेदारी की कृषि भूमि का भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत सही रूप से निरस्त करते हुये ही दौलतराम के नाम से भूमि आंवटन किया गया है। उक्त भूमि का कृषि भूमि से व्यवसायिक गतिविधियो के लिये नियमानुसार भू सांपरिर्वतन कराया जा चुका है। अपीलान्ट द्वारा गलत तथ्य अंकित कर अपील पेश की गयी है, अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.06.1976 के विरूद्व 46 वर्ष पश्चात पेश की गयी है, जिसके विलम्ब का सन्तोषप्रद कोई कारण भी अंकित नही किया गया है साथ ही निवेदन किया है, कि अपील मृतक के विरूद्व पेश की गयी है, अपीलान्ट की मृत्यु वर्ष 2004 में ही हो चुकी थी। रेस्पोडेन्ट की मृत्यु वर्ष 2004 में हो जाने के उपरान्त अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 25.05.2016 को मृतक के विरूद्व पेश की गयी है, नियमानुसार मृतक के वारियान को रिकार्ड पर लिये जाने का प्रावधान है, जिसकी पालना नही की जाकर मृतक के विरूद्व अपील कानूनन श्रवण योग्य नहीं होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि आराजी खसरा न0 502 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, हाल आराजी खसरा न0 667 रकबा 0.34 ऐयर, साबिक आराजी खसरा न0 503 रकबा 1 बीघा हाल आराजी खसरा न0 668 रकबा 0.25 ऐंयर वाके ग्राम रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी अपीलान्टान के पिता स्व0 किरोडी पुत्र जीवा जाति चमार निवासी रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर के कब्जे काश्त की आराजी है। जिस आराजी पर अपीलान्टान का पिता स्व0 किरोडी पुत्र जीवा अपने जीवन काल तक उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला हा रहा था, और उसकी मृत्यु उपरान्त हम अपीलान्टान उसके पुत्र काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है, और अब भी मौके पर काबिज है। उक्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का कोई ताल्लुक व सरोकार किसी प्रकार का नही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 एंव पटवारी हल्का से साज बाज होकर उक्त आराजी का खिलाफ आंवटन अपने नाम से दिनाक 16.06.1976 को करा लिया रेस्पोडेन्ट वकील द्वारा मुख्य विधिक बिन्दु बाबत मृतक के विरूद्व अपील पेश किये जाने के संबंध पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है, कि न्यायालय द्वारा जारी किये गये नोटिस/सम्मन रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की तामील रिपोर्ट में स्पष्ट किया है, कि दौलतराम पुत्र रामचन्दर की मृत्यु वर्ष 2004 में हो चुकी है। रेस्पोडेन्ट की मृत्यु वर्ष 2004 में हो जाने के उपरान्त अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 25.05.2015 को मृतक के विरूद्व पेश की गयी है, नियमानुसार मृतक के वारियान को रिकार्ड पर लिया जाने का प्रावधान है, जिसकी पालना नही की जाकर मृतक के विरूद्व अपील कानूनन श्रवण योग्य नही होने के कारण अपील अपीलान्टान खारिज की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर की कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27.06.22

(अखिलेश कुमार पिपल)
अति0 जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)